राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 210/2016

दलपत राम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक, उदयपुर जोन, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.02.2016
आदेश की दिनांक : 08.09.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि रिक्ति वर्ष 2013–14 अथवा 2014–15 के विरूद्ध व्याख्याता भूगोल के पद पर पदोन्नति हेतु रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ उसी तिथि से प्रदान किए जावें, जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिकों को प्रदान किए गए हैं।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर वर्ष 1987 में हुई थी और दिनांक 26.07.2009 को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी बी.एड. एवं एम.ए. भूगोल विषय में योग्यता वर्ष 1987 से रखता है और उक्त योग्यता उसके सेवाभिलेख में दर्ज की गई है, जो अनुलग्नक–2 से प्रकट होता है। अपीलार्थी संभागीय स्तर पर वरिष्ठता 114/2007–08 रखता है और वह रिक्ति वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के विरूद्ध व्याख्याता भूगोल के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किए जाने योग्य था। परंतु विभाग द्वारा समय पर उसकी योग्यता का अंकन नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी द्वारा सेवाभिलेख में योग्यता अंकन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

किया गया। फिर भी अपीलार्थी द्वारा उक्त पद के विरूद्ध अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11647/2016, 11651/2016, 13299/2015 एवं 12392/2016 भंवारा राम मेघवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.10.2016 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि योग्यता की सूचना कार्मिक द्वारा विभाग को प्रस्तुत की गई है, तो उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति पर विचार किया जाना उचित माना है। परंतु वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी की योग्यता पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया और उसे पदोन्नति से वंचित कर दिया गया, जो विधि एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि रिक्ति वर्ष 2013–14 अथवा 2014–15 के विरूद्ध व्याख्याता भूगोल के पद पर पदोन्नति हेतु रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ उसी तिथि से प्रदान किए जावें, जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिकों को प्रदान किए गए हैं।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में योग्यता माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं बी.एड. होना स्वीकार्य है और एम.ए. की योग्यता पृथक से बाद में लिखी गई है क्योंकि उस पर अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर अंकित नहीं किए गए हैं। अपीलार्थी की वर्ष 2007–08 में जारी सेकेण्ड ग्रेड की मण्डलीय स्तरीय वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रमांक 114/2007–08 पर दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा एम.ए. भूगोल की योग्यता दर्ज नहीं होने के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 09.08.1988 द्वारा दिया जाना स्वीकार्य है, किंतु उनके द्वारा एम.ए. फाईनल की अंकतालिका विभाग को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी, जिसके कारण उसके नाम पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर वर्ष 1987 में हुई थी और दिनांक 26.07.2009 को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया।

जहां तक अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के विरूद्ध व्याख्याता (भूगोल) के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी मण्डल स्तर पर वरिष्ठता 114/2007–08 रखता है और रिक्ति वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के विरूद्ध व्याख्याता भूगोल के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किए जाने योग्य था। परंतु विभाग द्वारा समय पर उसकी एम.ए. भूगोल की योग्यता का अंकन नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी द्वारा सेवाभिलेख में योग्यता अंकन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11647/2016, 11651/2016, 13299/2015 एवं 12392/2016 भंवारा राम मेघवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.10.2016 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि योग्यता की सूचना कार्मिक द्वारा विभाग को प्रस्तुत की गई है, तो उसकी योग्यता पदोन्नति हेतु विचार किया जावे। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की योग्यता पर कोई विचार नहीं किया गया और उसे पदोन्नति से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी था, परंतु विभाग द्वारा उसकी योग्यता का सेवाभिलेख में अंकन किए जाने के संबंध में की गई लापरवाही के कारण अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित होना पड़ा, जो नियमानुरूप उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि रिक्ति वर्ष 2013–14 अथवा 2014–15 के विरूद्ध व्याख्याता (भूगोल) के पद की रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी की योग्यता को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार एवं उक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए पदोन्नति हेतु उक्त पद पर अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य